



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक संहिता 2395 वर्ष 2026

नितिन उर्फ नितिन राजभर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : निजाम अहमद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. श्री निज़ाम अहमद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार शुक्ला की ओर से उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रियंका कौशल, जिनका वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया को सुना।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अनुतोष के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत यह याचिका दाखिल की है। आवेदन में उल्लिखित अनुतोष का विवरण निम्नवत है:-

"अतः सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 व 2 के रूप में संलग्न क्रमशः आरोप पत्र संख्या ए-86 वर्ष 2025 दिनांक 13.04.2025 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबेडकर नगर द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 11.06.2025 सहित सत्र परीक्षण संख्या 317 वर्ष 2025 "राज्य बनाम नितेश राजभर व अन्य", धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 376), थाना- अहिरौली, जिला- अंबेडकर नगर, जो कि अपराध संख्या 25 वर्ष 2025 से उद्भूत है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/दुत गामी न्यायालय प्रथम, अंबेडकर नगर के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को जहाँ तक कि इसका संबंध याची से है, रद्द करने की कृपा करे।

अन्य कोई आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझे, याची के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक पूर्व में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1460 वर्ष 2026 दाखिल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कर इस न्यायालय की ओर उन्मुख हो चुका है, क्योंकि आवेदक ने विपक्षी संख्या-2 से विवाह कर लिया है और दोनों पक्षों ने अपनी स्वेच्छा से आपस में विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है। उक्त आवेदन को आदेश दिनांक 16.04.2026 द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया था कि पक्षकार संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि वह दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में समझौते के आवेदन को सत्यापित करे एवं इसकी आख्या इस न्यायालय को प्रस्तुत करे।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि पक्षकारों ने अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है और उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष समझौता पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से सत्यापित कर दिया गया है, जिसकी प्रति इस याचिका के अनुलग्नक संख्या 11 के रूप में दाखिल की गई है।

5. वर्तमान प्रकरण में अंतर्गस्त धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 376) है।

6. विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षी संख्या-2 आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं।

7. अतः उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी०एस० जोशी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य; 2003 (4) एससीसी 675, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; राजस्थान राज्य बनाम शंभू केवट, (2014) 4 एससीसी 149; मध्य प्रदेश राज्य बनाम दीपक (2014) 10 एससीसी 285; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मनीष (2015) 8 एससीसी 307; जे० रमेश कामथ बनाम मोहना कुरूप (2016) 12**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एससीसी 179; मध्य प्रदेश राज्य बनाम राजवीर सिंह (2016) 12 एससीसी 471 तथा परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एससीसी 641 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/द्रुत गामी न्यायालय प्रथम, अंबेडकर नगर के न्यायालय में लंबित सत्र परीक्षण संख्या 317 वर्ष 2025 (राज्य बनाम नितेश राजभर व अन्य), धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 376), थाना- अहिरौली, जिला- अंबेडकर नगर उद्भूत मुकदमा अपराध संख्या 25 वर्ष 2025 की संपूर्ण कार्यवाही को वर्तमान आवेदक के साथ-साथ सह-अभियुक्त नितेश राजभर जो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है के विरुद्ध एतद्वारा रद्द किया जाता है।

8. तदनुसार, यह आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

11 जून, 2026

मनीष हिमवान

(न्यायमूर्ति प्रवीन कुमार गिरि)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।